क्रम–संख्या-187

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

### भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार 12 सितम्बर, 2019

भाद्रपद 21, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आबकारी अनुभाग–2

संख्या 1865 / ई–2 / तेरह-2019-1-2002

लखनऊ, 12 सितम्बर, 2019

अधिसूचना

सा०प०नि०–54

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 15 और 40 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी (मदिरा अभिवहन) नियमावली, 2003 का अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश आबकारी (मदिरा एवं पावर अल्कोहल संचलन) नियमावली, 2019

अध्याय–1

**संक्षिप्त नाम और परिभाषाएँ**

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (मदिरा एवं पावर अल्कोहल संचलन) नियमावली, 2019 कही जाएगी। **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।